रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-03102026-276761
CG-AP-E-03102026-276761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5062]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948
No. 5062]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विजयवाडा, 23 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) धारा - 20 ई

का.आ. 5269(अ).— चुकि, भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना एसओ सं. 2280(E), जो 6 मई 2026 को भारत के राजपत्र में संख्या 2189 (नई दिल्ली, दिनांक 06-05-2026, असाधारण भाग-II, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii)) में प्रकाशित हुई थी, और जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) (जिसे आगे' उक्त अधिनियम कहा जाएगा) के तहत जारी की गई थी, उसके द्वारा केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना के साथ जुड़ी अनुसूची में बताई गई भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की है, और यह भूमि एक विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के उद्देश्य से आवश्यक है, जिसके अंतर्गत यह भूमी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल में, चिन्ना पलकलूरु गाँव के निकट, किमी 9/13-14 पर स्थित समपार संख्या 06 के स्थान पर एक सड़क ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना है.

यह कि, उक्त अधिनियम का धारा 20ए की उप-धारा (4) के तहत अधिसूचना का सारांश दिनांक 12.05.2026 को "आंध्र ज्योति" और "ईनाडू" में प्रकाशित किया गया था. निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं

कराई गई है. यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

अतः सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाना चाहिए.

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह घेणा करती है कि इस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि समस्त कानूनी दायित्वों से मात होकर, पूर्णतः केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरणः आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुंटूर पश्चिम मंडल में, चिन्ना पलकलूरु गाँव के निकट, किमी 9/13-14 पर स्थित समपार संख्या 06 के स्थान पर एक सड़क ऊपरी पुल (रोड ओवर ब्रिज)का निर्माण.

ज़िले का नाम: **गुंटूर** मंडल का नाम: **गुंटूर पश्चिम**

क्र.ख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	एलपीएम संख्या	ज़मीन का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एकड़ में क्षेत्रफल (Ac.Cts)	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	भूमि स्वामी का नाम
1	चिन्ना पलकलूरु	100-LC	1838	Private	निजी	0.088	0.0356	श्री कोमिरीसेट्टि वेंकट राब एवं नानेश्वर राव
2	चिन्ना पलकलूरु	107-G, F	1751	Private	निजी	0.081	0.0328	श्री बत्तुलपल्लि रविंद्र रेड्डी
3	चिन्ना पलकलूरु	108-C, D	1752	Private	निजी	0.015	0.0061	भूखंड
4	चिन्ना पलकलूरु	107-E	1742	Private	निजी	0.168	0.0680	श्री मात्तुपल्लि शिव प्रसाद
5	चिन्ना पलकलूरु	107	1750	Private	निजी	0.115	0.0466	श्री मात्तुपल्लि शिव प्रसाद
6	चिन्ना पलकलूरु	117-C	2559	Private	निजी	0.011	0.0015	श्रीमति कोसिरिसेहि साम्बाज्यम
					कुल निजी भूमि	**0.478**	**0.1936**	
1	चिन्ना पलकलूरु	119	2567	**सरकारी भूमि** (तालाब)	तालाब	0.85	0.3443	तालाब
					कुल सरकारी भूमि	**0.85**	**0.3443**	
					कुल : निजी + सरकारी भूमि	**1.328**	**0.5378**	

[फा. सं. GS/Gazette/20E/LC No.6/GNT-NDKD/GNT]

के. सैमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

NOTIFICATION

Vijayawada, the 23rd September, 2026

S.O. 5269(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways S.O. Number 2280(E) dated the 6th May2026, published in the Gazette of India vide No 2189, New Delhi, dt.06-05-2026, extraordinary Part-II. Section-3, sub-section(ii) issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declaration its intention to acquire the land specified in the schedule annexed hereto the said notification is required for the purpose of execution of the Special Railway Project, Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing No.06 at Km 9/13-14 near China Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Andh a Jyothi" and "The Eanadu" on 12-05-2026 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act. No objections have not been filed within the statutory time limit. And whereas in pursuance of sub-section (1) of Section 201 of the said act, the Competenl Authority has submitted the report to the Central Government.

Now, therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section-20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this declaration in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely to the Central Government, free from all encumbrances.,

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: , Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing No.06 at Km 9/13-14 near China Palakaluru Village of Guntur West Mandal in Guntur District of Andhra Pradesh.

Name of the District: **Guntur** Name of the Mandal: **Guntur West**

Sl. No.	**Name of the Village**	**Survey Number**	**LPM Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Acres (Ac. Cts)**	**Area in Hectares**	**Name of the Land Owner**
1	China Palakaluru	100-LC	1838	Private	Dry	0.088	0.0356	Sri Komirisetty Venkata Rao & Nageswara Rao
2	China Palakaluru	107-G, F	1751	Private	Dry	0.081	0.0328	Sri Battullapalli Raveendra Reddy
3	China Palakaluru	108-C, D	1752	Private	Dry	0.015	0.0061	Plots
4	China Palakaluru	107-E	1742	Private	Dry	0.168	0.0680	Sri Mattupalli Siva Prasad
5	China Palakaluru	107	1750	Private	Dry	0.115	0.0466	Sri Mattupalli Siva Prasad
6	China Palakaluru	117-C	2559	Private	Dry	0.011	0.0015	Smt Komirisetty Sambraiyam
Total Private Land						**0.478**	**0.1936**	
1	China Palakaluru	**119**	**2567**	Govt. Land (Pond)	Pond	0.85	0.3443	Pond
Total Govt. Land						**0.85**	**0.3443**	
Grand Total: Private + Govt.						**1.328**	**0.5378**	

[F. No. GS/Gazette/20E/LC No.6/GNT-NDKD/GNT]

K. SIMON, Chief Project Manager (Gati Shakti)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA